न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम : मुकेश कुमार कलाल, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 31/2018 (राजस्व प्रार्थना पत्र) दायर दिनांक 26.12.2018

श्री प्रहलाद सिंह पिता नरवरसिंह राजपुत उम्र 42वर्ष , निवासी विजया मंगरी तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

..... प्रार्थी

बनाम

1. श्री देवीसिंह पिता भेरूसिंह राजपूत मृतक के बजायः—
   1/1.श्री अर्जुनसिंह पिता स्व0देवीसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी देबारी उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)।
   1/2. भंवर कंवर पिता स्व0देवीसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी देबारी उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)।
   1/3. मोहन कंवर पिता स्व0देवीसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी देबारी उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)।
   1/4. कंकू कंवर पिता स्व0देवीसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी देबारी उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)।
   1/5. धापू कंवर पिता स्व0देवीसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी देबारी उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)।
   1/6.यशोदा कंवर पिता स्व0देवीसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी देबारी उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)।
   1/7.सोसर कंवर पत्नि पिता स्व0देवीसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी देबारी उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)।
2. श्री महेश कुमार पिता कालूलाल मेहता(जैन) जाति जैन उम्र वयस्क ,निवासी डूंगला त्हसील डूंगला जिला चितौड़गढ़।
3. श्री अशोककुमार पिता घनश्यामलाल गौड़ उम्र वयस्क ,निवासी डूंगलाा तहसील डूंगला जिला चितौड़गढ़(राज0)।
4. राजेश कुमार पिता हिम्मतसिंह भाणावत ,उम्र वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ (राज.)।
5. घनश्यामलाल पिता शंकरलाल गौड़ उम्र वयस्क निवासी डूंगला तहसील डूंगला जिला चितौड़गढ़ (राज.)।
6. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार साहब, डूंगला जिला चितौड़गढ(राज.)।

———विपक्षीगण

निगरानी प्रार्थना पत्र 14(4) भू आवंटन निरस्तीकरण विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा , प्रकरण संख्या 107/1972 आवंटन दिनांक 06.02.1975

उपस्थितः— वकील प्रार्थी :— श्री चन्दनमल जणवा

विकल विपक्षीगण :— श्री मनोहरलाल दक

निर्णय दिनांक 20.12.2019

उपरोक्त अनवान प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभिभाषक प्राथी/निगराकार ने एक प्रार्थनापत्र निगरानी का प्रस्तुत किया कि अधिनस्थ भू आवंटन कमेटी द्वारा पारित आवंटन आदेश न्याय नियम एवं वाकियाती तथ्यों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम नेगड़िया की साबिक आ0नं02 रकबा 66 बीघा 13 बिस्वा में से विपक्षी संख्या 01 से 07 के पिता ,पति, देवीसिंह पिता ,पति, देवीसिंह पिता भेरूसिंह निवासी उदयपुर को 5 बीघा कृषि भूमि आवंटित की गई जिस पर कभी भी आवंटी का कब्जा काश्त नहीं रहा न ही आवंटी द्वारा आवंटन आदेश की पालना में मौके पर कृषि कार्य ही किया गया। राजस्व कर्मचारी द्वारा आवंटित आराजियात के नवीन नम्बर 2/1 कायम कियागया लेकिन आवंटन के पश्चात् से अभी तक आराजियात एक चक होकर नक्शें में कोई तरमीम नहीं किया गया जिससे भी आवंटित किये गये आवंटन मौके एवं रेकार्ड के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटित आराजियात के विस्तृत रकबें में 05 बीघा कृषि भूमि पर नानालाल पिता नारायण मेघवाल का लगातार कब्जा चला आ रहा था जिससे उसके विरूद्ध पटवार हल्का द्वारा अतिक्रमण की कार्यवाही कर जुर्माना वसूल किया गया। तथा वर्ष 1998 से अपीलान्ट के पिता नरवरसिंह पिता रूपसिंह राजपूत निवासी विजयामंगरी का कब्जा चला आ रहा है तथा वर्तमान में विगत कई वर्षो से प्रार्थी काबिज हो काश्त करता चला आ रहा है। जो निरन्तर होकर अतिक्रमण की कार्यवाही की रसीदे संलग्न की गई हैं।

आवंटित आराजियात पर कभी भी कब्जा काश्त विपक्षी का नहीं रहा है ऐसी सूरत में आंवटी को किया गया आवंटन नियम विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटित आराजियात के तरमीमशुदा नम्बर 16/1 कायम किये गये जिसे राजस्व कर्मचारियों द्वारा आवंटि से दुरभि संधि करते हुए मुझ प्रार्थी के कब्जें काश्त के स्थान पर तरमीम कराते हुए आराजी0नं0 16/2 कायम किये गये जो कि आवंटि रकबे से पृथक थे क्योंकि यदि आवंटित आराजियात पर भी मुझ प्रार्थी का कब्जा काश्त होता तो राजस्व कर्मचारियों द्वारा मेरे विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही नहीं की जाती ऐसी सूरत मकें स्पष्ट है कि मुझ प्रार्थी के कब्जा कृषि भुमि व आवंटित रकबा पृथक–पृथक जगह स्थित है, फिर भी विपक्षीगण गैर निगराकार द्वारा जबरन मुझ प्रार्थी की आराजियात पर कब्जा करना चाह रहे है।

विपक्षीगण मेरे विरूद्ध थाने में झुंठी–झुंठी कार्यवाही करवाने का प्रयास कर रहे है जिससे मजबुरन आवंटन को निरस्त करवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। आवंटि को 1076 में आवंटन हो जाने के बाद भी 2015 तक 40वर्ष तक खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये गये और उसके बाद आवंटि के उत्तराधिकारी को स्थानीय क्षैत्र के भू माफियाओं के सम्पर्क में आने से बिना कब्जें के राजस्व कर्मचारियों से सांठ गांठ कर दिनांक 18.08.2015 को खातेदारी प्राप्त कर ली व दिनांक 9.10.2015 को विक्रय पत्र विपक्षी संख्या 2 से 05 के पक्ष में निष्पादित करवा लिया जो प्रारम्भ से ही बिना कब्जें व बिना प्रतिफल के होने से मुझ प्रार्थी के हक व अधिकारों के मुकाबलें निष्प्रभावी है तथा आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि निगरानी/प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को किये गये आवंटन 107/1972 आवंटन दिनांक 06.02.1975 को निरस्त फरमाया जाकर वर्तमान आराजी नम्बर 16/2 रकबा 1.08 हैक्टयर को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षीगणों की ओर से अभिभाषक श्री मनोहरलाल दक ने वकालतनामा पेश किया । विपक्षीगण की ओर से दिनांक 2.8..2019 को जवाब पेश किया, जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दिलाई गई । प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। वकील प्रार्थी/निगराकार ने दिनांक 27.11.2019 को एक प्रार्थना पत्र मौके की रिर्पोट मंगाये जाने हेतु आदेश 26 नियम 9 जा0दी0 पेश किया, जिसकी प्रति वकील विपक्षी को दिलाई गई। वकील विपक्षी नें दिनांक 4.12.2019 को प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 जा0दी0 का जवाब प्रस्तुत कियां। प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रकरण में मौका रिर्पोट आवश्यक नहीं होने से प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 जा0 दी0 अस्वीकृत किया गया।

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने अपने प्राथना पत्र में अंकित बिन्दुओं को ही दोहराया कि विपक्षी को दिनांक 6.2.75 को ग्राम नेगड़िया तहसील डूंगला में आवंटन किया गया जो गलत किया गया क्योंकि विपक्षी ग्राम नेगड़िया में रहा ही नहीं हैं तथा आवंटन के बाद विपक्षी का कभी कब्जा रहा ही नही ओर विपक्षी को आवंटित भूमि की तरमीम की गई जो गलत की गई क्योंकि तरमीम वाली भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है। विपक्षी को जो खातेदारी अधिकार 18.8.15 को दिये है जो राजस्व कर्मचारियों द्वारा

गलत रिर्पोट के आधार पर दिये गये है। अतः विपक्षी को आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। अतः आवंटन निरस्त किया जावें।

वकील विपक्षीगण ने अपनी बहस में अपने जवाब के बिन्दुओं बताया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में जो बिन्दु संख्या 4 में वर्णित किया है कि प्रार्थी की कब्जा कृषि भूमि व आवंटित रकबा पृथक–पृथक जगह स्थित है। प्रार्थी ने विपक्षीगणो के विरूद्ध जो आवंटन निरस्त का प्रार्थना पत्र 14(4) जो प्रस्तुत किया वह निराधार प्रस्तुत किया जो निरस्त /खारीज योग्य है। विपक्षीगणों का ग्राम नेगड़िया तहसील डूंगला जिला चितौड़गढ़ के साबिक आराजी नं0 2 रकबा 66बीधा 13 बिस्वा मे से 5 बीघा (हाल आ0नं0 2/1 रकबा 1.0803 हैक्टयर) आवंटित भूमि पर आवंटन 6.2.75 से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। विपक्षीगणों द्वारा आवंटन शर्तो की पालना करने पर ही गैर खातेदारी से खातेदारी के अधिकार दिनांक 18.8.2015 को मिले है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निराधार होकर झुठा प्रस्तुत किया है, जो निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावें।

निष्कर्ष

प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड एवं उभय पक्ष की बहस में प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) भू आवंटन निरस्तीकरण विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, प्रकरण संख्या 107/1972 को श्री देवीसिंह पिता भेरूसिंह राजपूत निवासी नेगड़िया को ग्राम नेगड़िया की आ0नं02 रकबा 66 बीघा 13 बिस्वा में से 5बीघा भूमि आवंटन दिनांक 06.02.1975 के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र को साबित करने हेतु ठोस आधार प्रस्तुत करने में प्रार्थी असमर्थ रहा है। चूकि प्रकरण में खातेदारी अधिकार दिये जा चुके है अतः खातेदारी अधिकारों को लेकर कोई आपत्तिः है तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अर्न्तगत उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में इमदाद प्राप्त की जानी चाहिये। अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारीज योग्य होने से प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया।

(मुकेश कुमार कलाल)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन),चित्तौड़गढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Kumar
Date: 2020.03.04 13:07:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: